भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2733
17.03.2025 को उत्तर के लिए

प्लास्टिक पर प्रतिबंध और वैश्विक प्लास्टिक संधि का कार्यान्वयन

2733. श्री जी. कुमार नायकः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः
श्री दिनेश चन्द्र यादवः
श्री रामप्रीत मंडलः
एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्जः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में विशेषकर एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और अत्यधिक पैकेजिंग से संबंधित प्लास्टिक प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई समीक्षा कर रही है और यदि हां, तो उसकी स्थिति क्या है;

(ग) वर्ष 2025 में होने वाली वैश्विक प्लास्टिक संधि-वार्ता को ध्यान में रखते हुए सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए किस प्रकार तैयारी कर रही है और देश में प्लास्टिक उत्पादन, खपत और अपशिष्ट को कम करने के लिए किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है:

(घ) मौजूदा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू किए जाने और विनिर्माताओं और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा इनका अनुपालन न किए जाने पर लगाए गए जुर्माने का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार एकल उपयोग प्लास्टिक के किसी विकल्प को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है/विचार करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 अधिसूचित किया, जिसके अन्तर्गत अभिज्ञात की

गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं, जिनकी उपयोगिता कम और कूड़ा फैलाने की संभावना अधिक है, पर दिनांक 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने और अभिज्ञात की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं::

(i) सभी छत्तीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अभिज्ञात की गई एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के उन्मूलन और प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव/प्रशासक की अध्यक्षता में विशेष कार्यदल का गठन किया है। मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त करने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समन्वित प्रयास करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी एक कार्यदल गठित किया गया है।

(ii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अभिज्ञात की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के संबंध में ई-कॉमर्स कंपनियों, प्रमुख एकल उपयोग प्लास्टिक विक्रेताओं/उपयोगकर्ताओं और प्लास्टिक के कच्चे माल के विनिर्माताओं को भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए कहा गया है।

(iii) देश में अभिज्ञात की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कार्यरत हैं: (क) व्यापक कार्ययोजना कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय डैशबोर्ड, (ख) एकल उपयोग प्लास्टिक को समाप्त करने के संबंध में अनुपालन के लिए सीपीसीबी का निगरानी मॉड्यूल, और (ग) सीपीसीबी शिकायत निवारण ऐप।

(iv) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे अभिज्ञात की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं और एक सौ बीस माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैगों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए नियमित प्रवर्तन अभियान चलाएं, जिसमें फल और सब्जी मंडियों, थोक बाजारों, स्थानीय बाजारों, फूल विक्रेताओं, प्लास्टिक कैरी बैग बनाने वाली इकाइयों आदि को शामिल किया जाए। संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालन नहीं करने वालो पर कार्रवाई की गई है, जिसमें प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करना और जुर्माना लगाना शामिल है। एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा प्रदान किए गए विवरण और एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, कुल 8,61,335 निरीक्षण किए गए हैं और 1976 टन प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त किया गया है और कुल 19.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय प्राधिकरण पारिस्थितिकी अनुकूल विकल्पों की ओर बढ़ने के कदम बढ़ा रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग इस योजना के दिशा-

निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्प के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सहायता करते हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के पास एमएसएमई इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं हैं, जिनमें ऐसी इकाइयों को सहायता प्रदान करना शामिल है जो पहले प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण में शामिल थीं, ताकि वे वैकल्पिक/अन्य उत्पादों के उपयोग शुरू कर सकें। अभिज्ञात की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध ने अभिनव पर्यावरण अनुकूल-विकल्पों के विकास को शुरू किया है। पर्यावरण अनुकूल-विकल्पों का विकास को ध्यान में रखते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो ने कृषि सह-उत्पादों से बने भोजन परोसने वाले बर्तनों के लिए भारतीय मानक आईएस 18267 को अधिसूचित किया है।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन विकसित करने के लिए अंतर-सरकारी वार्ता समिति (आईएनसी-5) के पांचवें सत्र में भाग लिया था, जो दिनांक 25 नवंबर 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक कोरिया गणराज्य के बुसान में आयोजित किया गया था। आईएनसी-5 में हुई वार्ता में प्लास्टिक उत्पादन, उपभोग और प्लास्टिक अपशिष्ट से संबंधित प्रतिबद्धताओं पर सहमति नहीं बन पाई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर बल दिया है कि प्रस्तावित साधन के तहत किसी भी प्रतिबद्धता में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के प्रस्ताव 5/14 में हुई सहमति के अनुसार, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के उपाय किए जाने चाहिए, जो रियो सिद्धांतों और देशों की राष्ट्रीय परिस्थितियों और क्षमताओं पर आधारित है।

*****